राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 394 / 2020 आवन्टन निरस्त

1. रामचन्द्र पुत्र शंकरलाल पुरोहित निवासी नाहरगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा –प्रार्थी	**बनाम**	1. मूलचन्द पुत्र तुलछा चमार निवासी नाहरगढ (सुरास) तहसील माण्डलगढ 2. उपखण्ड कार्यालय माण्डलगढ जिला भीलवाडा –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970

उपस्थित –
1. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री मुकेश कुमार भाण्ड अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

निर्णय

दिनांक 12.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 के आवेदन पर ग्राम नाहरगढ तहसील माण्डलगढ की आराजी नं. 614 में 01 बीघा एवं आराजी संख्या 621 में 02 बीघा भूमि का आवंटन, पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा 19.01.2013 को किया गया, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य हैं। पटवारी हल्का द्वारा आवंटी के कुटुम्ब में कितनी सिंचित व असिंचित भूमि हैं, इसका कोई उल्लेख नही किया गया। जबकि विपक्षी संख्या 01 के पिता तुलछा के खाते में आवंटन के समय जो भूमि दर्ज थी, उनको पटवारी हल्का ने अपनी टिप्पणी में अंकित नही किया। विपक्षी संख्या 01 न तो कृषक हैं एवं न ही कृषि व्यवसाय से जुडा हैं। आराजी संख्या 614 एवं 621 ग्राम नाहरगढ आवंटन हेतु उद्घोषणा पत्र में सम्मिलित नहीं होते हुये भी विपक्षी संख्या 01 को आवंटित कर दी गयी। विपक्षी संख्या 01 को आवंटित

की रिपोर्ट के अनुसार, आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर से दिनांक 19.01.2013 को विधिवत् तौर पर आवंटन किया जाना प्रकट होता हैं, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। पटवारी हल्का द्वारा उक्त आवंटित भूमि दिनांक 30.05.2013 को आवंटी को सुपुर्द की जाना आवंटन पत्रावली की सत्यापित प्रति से प्रकट होता हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रश्नगत आराजी पर उनका विगत 40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा हैं। किन्तु प्रार्थी ने उक्त कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य/दस्तावेजात पत्रावली पर पेश नही किये है, जिससे जाहिर हो सके कि प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि विपक्षी संख्या 01 आवंटी द्वारा आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नही की गयी, परन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी हो, एवं न ही प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रामाणिक दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी को मिस–रिप्रजेन्टेशन या फ्रॉड तरीके से प्रश्नगत आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हो।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) सिद्ध नही होने से तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी आवंटी को ग्राम नाहरगढ तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी संख्या 614 व 621 कुल 03 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 13.01.2013 का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा